# आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना का संकल्प संख्या–8306 दिनांक–09.08.2019 द्वारा बदलते परिवेश में न्यायिक प्रक्रियाओं में पुलिस बल की क्षमता में वृद्धि के लिए जिला – स्तर, क्षेत्र, एवं पुलिस महानिदेशक का कार्यालय के लिए विधि शाखा एवं अभियोजन शाखा का गठन एवं कार्य निर्धारित किया गया है।

उक्त संकल्प के आलोक में पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक–491/एल–2, दिनांक–27.08.2019 द्वारा पुलिस मुख्यालय में विधि शाखा एवं अभियोजन शाखा का गठन किया गया है, जो वर्तमान में स्थापना एवं विधि प्रभाग के अन्तर्गत कार्यरत है।

अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था), बिहार, पटना का गै0स0प्रे0सं–29/गो0, दिनांक–13.06.2023 द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि वर्तमान में अभियोजन शाखा के सभी कार्य यथा–त्वरित विचारण, विचारण, अपील एवं जमानत रद्दीकरण इत्यादि कार्य पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक (विधि–व्यवस्था), बिहार, पटना के स्तर हो रहे हैं। काण्डों में आरोप पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही अभियोजन का कार्य शुरू होता है एवं अभियोजन के सभी कार्य अनुसंधान से जुड़े होते है, अतः 'अभियोजन शाखा' बिहार पुलिस मुख्यालय को अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन स्थानान्तरित किया जाय।

राज्यभर का पुलिस बल पुलिस महानिदेशक के प्रभाराधीन है। पुलिस महानिदेशक के सहायतार्थ एवं कार्य संचालन की सुविधा के लिये पुलिस प्रशासन विभिन्न शाखाओं में विभक्त है। जिसके अन्तर्गत अपराध अन्वेषण विभाग भी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पुलिस मुख्यालय का आदेश ज्ञापांक–491/एल–2, दिनांक–27.08.2019 द्वारा पुलिस मुख्यालय में गठित 'अभियोजन शाखा' पद सहित अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन किया जाता है।

अभियोजन शाखा द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के संकल्प संख्या–8306, दिनांक–09.08.2019 द्वारा निर्धारित कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। आदेश ज्ञापांक–491/ एल–2, दिनांक–27.08.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

28/6/23

**(जितेन्द्र सिंह गंगवार),**
अपर पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पत्र संख्या एल–2/52–05–01–2019/ 53

**बिहार पुलिस मुख्यालय,**
(स्थापना एवं विधि प्रभाग)

पटना, दिनांक 28/06/2023

**प्रतिलिपिः–**

1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3) सभी पुलिस महानिदेशक/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4) सभी पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उप–महानिरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5) सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6) सभी पुलिस उपाधीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी/रक्षित पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7) आई0टी0 मैनेजर को पुलिस मुख्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/6/23

**अपर पुलिस महानिदेशक,**
बिहार, पटना।